कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक 365/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 20.04.2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमॉक 360/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनॉक 14.4.2020 के माध्यम से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है । छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमॉक 189/स.प्र.वि./2020, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक 16.4.2020 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के परिपालन में विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त ज्ञापनों के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है :–

1. छूट प्राप्त सेवाओं के संचालन हेतु निर्धारित समय सीमा 3 बजे के स्थान पर 4 बजे तक रहेगी ।
2. पूर्व निर्धारित छूट प्राप्त गतिविधियों के अलावा निम्न प्रकार की गतिविधियॉ भी संचालित हो सकेंगी ।
   - अ. मिठाई की दुकानें (केवल दूध से बनी मिठाईयॉ एवं दूध से बनी अन्य सामग्री जैसे–पनीर इत्यादि हेतु)
   - ब. बेकरी की दुकानें
   - स. सी.एस.सी./च्वाईस केन्द्र (केवल ग्रामीण क्षेत्रों में)
   - द. स्वयं कार्य करने वाले व्यक्तियों की सेवायें जैसे– इलेक्ट्रिशियन, मोटर मेकेनिक, प्लम्बर, ए.सी.मेकेनिक, बढ़ाई इत्यादि
   - क. बोर खनन् की गतिविधियॉ
   - ख. कुरियर सेवाएं
   - ग. ट्रक रिपेयर केन्द्र
   - घ. अनुमति प्राप्त निर्माण कार्यों के लिये निर्माण सामग्री जैसे– सीमेंट, सरिया इत्यादि का परिवहन ।
3. सभी छूट प्राप्त सेवाओं के लिये घर पहुॅच सेवा की भी अनुमति रहेगी । पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

शेष शर्तें जारी दिशा–निर्देश अनुसार यथावत् रहेंगी ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

पृ. क्रमांक 366/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 20.04.2020

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. **आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग** को सादर सूचनार्थ।
3. **पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग** को सादर सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरोदा/रिसाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, **जिला दुर्ग** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
8. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डा0, **जिला–दुर्ग** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सर्व मुख्य कार्य अधिकारी, जनपद पंचायत **जिला दुर्ग** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

PA2col.

Scanned with CamScanner